संख्या–3139/9–आ–3–2002–141 काम्प/2002

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उद्योग बन्धु
12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक : 12 नवम्बर, 2002

विषय : औद्योगिक आस्थानों/औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के भवन मानचित्र का स्वतः अनुमोदन निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–उ0ब0/जी0सी0ए0/2002–03/328, दिनांक 12.8.2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम के पत्र दिनांक 29.7.2002 के साथ औद्योगिक क्षेत्रों के अर्न्तगत भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्रों के सम्बन्ध में आवास विभाग द्वारा स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था निम्न रूप से लागू की गयी है :–

(i) नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्र में 100 वर्ग मी0 तक के भूखण्डों पर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु।

(ii) विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की योजना तथा अभिकरणों द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान के अन्तर्गत 300 वर्ग मी0 तक के आवासीय भूखण्डों हेतु बशर्ते मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हो।

(iii) 300 वर्ग मी0 से अधिक के एकल आवासीय भूखण्डों हेतु मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक है परन्तु 30 दिन में निस्तारित न होने पर स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे।

(iv) व्यवसायिक, कार्यालय, ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य (औद्योगिक को छोड़कर) प्रकृति के भवन मानचित्रों पर मानचित्र निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे परन्तु 90 दिन की अवधि में निस्तारित न होने पर स्वतः स्वीकृत माने जायेंगे। इस प्रकार औद्योगिक भवन मानचित्र पर स्वीकृत प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

2. उद्योग बन्धु द्वारा समस्त प्रकृति के भवनों हेतु स्वतः अनुमोदन की प्रक्रिया लागू किये जाने का प्रस्ताव है, जो उचित नहीं है। परन्तु आवास विभाग द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों/सहकारी औद्योगिक आस्थानों एवं यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित कालोनियों/टाउनशिप में आवासीय तथा व्यवसायिक भवनों को स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था लागू किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

3. औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना के फलस्वरूप पर्यावरण एवं रिहायशी जीवन की गुणवत्ता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि उद्योगों की स्थापना के साथ जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण के साथ–साथ कूड़ा कचरा निस्तारण आदि समस्यायें भी जुड़ी हैं। अतः समस्त प्रकृति एवं आकार के औद्योगिक मानचित्रों हेतु स्वतः अनुमोदन की प्रक्रिया लागू किया जाना निम्न कारणों से उचित नहीं होगा।

(क) आकार के अनुसार वर्गीकरण

कुटीर एंव गृह उद्योग

हल्के एवं सेवा उद्योग

मध्यम उद्योग

वृहद उद्योग/एक्सटेन्सिव उद्योग

(ख) प्रकति के अनुसार वर्गीकरण

प्रदूषण रहित उद्योग

प्रदूषण युक्त उद्योग

संकटमय एवं खतरनाक प्रकृति के उद्योग

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए आवास विभाग के निम्न सुझाव हैं :–

(अ) आवासीय, व्यवसायिक भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु आवास विभाग द्वारा की गयी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है।

(ब) औद्योगिक आस्थान के अन्तर्गत यदि ''इण्डस्ट्रियल जोनिंग'' की गई हो तो स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था प्रदूषण रहित कुटीर एवं गृह उद्योगों तथा हल्के एवं सेवा उद्योगों हेतु लागू किये जाने पर विचार किया जा सकता है, जबकि अन्य प्रकृति के औद्योगिक भवनों के मानचित्र परीक्षणोपरान्त ही स्वीकृत किए जायेंगे।

(स) औद्योगिक मानचित्रों के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

अतः समस्त आकार एवं प्रकृति के औद्योगिक भवन मानचित्रों हेतु स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था लागू किया जाना उचित नहीं है।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव।